



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर ( राज. )

अनवान - ..... जुरदशनि सिंट ..... बनाम ..... हनुमान सिंट आदि .....

किस्म मुकदमा :- ..... 88, 188, 92A, 207, 209 RTA ..... प्रकरण सं. :- 132/2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
09.10.25	<p>उपरोक्त फा 347 (पतिवारी) का हारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 09.02.2021 के किशु मां भण्डल में निगामी संख्या 8838/2025 प्रस्तुत होने पर यह फा 347 जारी गइ। अतः यह फा 347 मां भण्डल को रेविज की जाके। नंबर से कुम ली आदेश सुनय गमा।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)</p>	<p style="text-align: right;"><u>GOMS</u> 2014/00029</p> 

# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला-श्रीगंगानगर ( राज. )

क्रमांक/राजस्व/पाठ १३ / 132 / 2014 / 09.10.25/5962

दिनांक : 09.10.2025  
13

प्रेषित :-

..... श्रीमान निबंधक महोदय,  
..... राजस्व मण्डल, राजस्थान  
अजमेर

विषय: प्रकरण संख्या ..... 132/2014 ..... अनवान ..... सुरेशनि सिंह  
बनाम ..... हनुमान सिंह व अन्य ..... अन्तर्गत धारा ..... 88, 188, 92A, 207, 209 RTI  
निर्णय दिनांक ..... 09.02.2021 ..... भिजवाने हेतु।  
(शा.प्र 07R11 संपठित धारा 11 व 151 CPC के विरुद्ध)

प्रसंग :- आपका पत्रांक ..... शा.प्र/आय/TA/निग/2025/8838/श्रीगंगानगर/12.01.26/13939  
दिनांक ..... 16.09.2025

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र द्वारा चाही गई पत्रावली संख्या ..... 132/2014 (JCMAS NO. 2014/00029)  
अनवान ..... सुरेशनि सिंह ..... बनाम ..... हनुमान सिंह व अन्य  
अन्तर्गत धारा ..... 88, 188, 92A, 207, 209 RTI ..... निर्णय दिनांक ..... 09.02.2021 (शा.प्र 07R11 व 11-151 CPC  
के विरुद्ध के विरुद्ध)  
कुल पृष्ठ ..... (159) ..... इस पत्र के संलग्न आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न :- उपर्युक्तानुसार

  
उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़